SC.No.7(R)

34

स्पीडपोस्ट

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

सं0 यूके/10/2012/एसटीजीजेएन/डीईएलएएएल/आर.यू.–3

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi - 110 003

Dated 16/5/2013

सेवा में,

मुख्य सचिव,
झारखंड सरकार,
रांची (झारखण्ड)

विषय: **इनलैंड पावर लिमिटेड कंपनी, टोनागातू, थाना–गोला, जिला–रामगढ़ व झारखण्ड सरकार द्वारा छोटानागपुर टेनेन्सी कानून व संविधान के पांचवी अनुच्छेद के उल्लंघन करते हुए आदिवासियों की जमीन हड़पने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया आयोग के पत्र दिनांक 22/03/2013 का संदर्भ ग्रहण करें। दिनांक 09/04/2013 को आयोग में होने वाली बैठक हेतु आपके निदेशानुसार डा0 अमिताभ कौशल, उपायुक्त, रामगढ़ को आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। चर्चा दौरान उपायुक्त, रामगढ़ ने आयोग को अवगत कराया कि मामले में अनुमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा जांच की गयी जिसकी कोपी आयोग को प्रस्तुत की (कोपी संलग्न)।

आयोग ने उपरोक्त जानकारी पर चर्चा की तथा उपायुक्त, रामगढ़ से जानकारी चाही कि आवश्यक प्रावधानों के अन्तर्गत आदिवासियों की जमीन इनलैंड पावर लिमिटेड कम्पनी को देने के प्रस्ताव के प्रोजेक्ट पर संस्तुति करते समय क्या झारखण्ड सरकार/झारखण्ड शासन द्वारा निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा गया था :–

1. आदिवासियों की पुस्तैनी जमीन जो कि आदिवासियों के खतियान में थी वह कैसे और कब गैर आदिवासियों को मिली, का पूरा ब्यौरा रिकार्ड सहित दें ?
2. इस क्षेत्र में छोटानागपुर टेनेन्सी एक्ट लागू है। ऐसी स्थिति में आदिवासियों की भूमि का हस्तांतरण गैर आदिवासियों को किस तरह संभव हुआ बाद में यह जमीन कम्पनी को बेची गयी, उसका पूरा ब्यौरा दें?
3. क्या आदिवासियों ने कोई आवेदन दिया कि उनकी जमीन उन्हें वापस दिलवाई जाए?
4. क्या इस संबंध में किसी कोर्ट में कोई वाद दर्ज है?
5. गैर आदिवासियों से जमीन कम्पनी द्वारा किस रेट पर ली गयी है तथा किस साल?

3706–8
20/5/13

जारी किया
ISSUED

Tel. : 011-24615012, 011-24624714, Fax : 011-24604689, 011-24624191

6. कम्पनी ने आदिवासियों को जमीन किस रेट पर ली है क्या दोनों के रेट में अन्तर है, यदि हां तो इसका औचित्य बताएं?
7. कम्पनी द्वारा आदिवासियों की जमीन का सौदा कब किया गया तथा हस्तांरण हेतु आवेदन कब दिया गया, तिथि बताएं?
8. उपायुक्त द्वारा जमीन हस्तांतरण हेतु कब आदेश दिया गया?
9. क्या पावर प्लांट लगाने हेतु राज्य/सरकार/प्रशासन के बीच कोई एम.ओ.यू. हुआ है यदि हां तो उनकी कापी भिजवाएं?
10. राज्य में भूमि अधिग्रहण/पुनर्वास की नीति क्या है?
11. ऐसे कितने आदिवासी भूमिहीन हुए हैं या विस्थापित हुए हैं उनके पुनर्वास की योजना क्या है?
12. कम्पनी ने आदिवासियों को नौकरी देने के क्या प्रावधान रखे हैं?
13. कम्पनी ने फसल क्षतिपूर्ति एवं फसल भागीदार के तौर पर आदिवासियों को क्या मुआवजा दिया है?
14. अन्य अपेक्षित/संबंधित सूचनाएं/दस्तावेज आदि।

भवदीय,

के० डी० बन्सौर

(के0डी0 बन्सौर)
उप निदेशक

प्रतिलिपिः—

1. उपायुक्त, रामगढ़ (झारखण्ड) को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. श्री उमाकांत महतो, चटर्जी कंपाउंड, शिवमंदिर गली, हजारीबाग रोड, कोकर, रांची (झारखण्ड) को अनुमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ के पत्र सं0 363 दिनांक 06/04/2013 की प्रति सूचनार्थ भेजी जा रही है।

के० डी० बन्सौर

(के0डी0 बन्सौर)
उप निदेशक

Copy to: - SSA (NIC)

कार्य प्रति